भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2183
उत्तर देने की तारीख 02 अगस्त, 2023

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

2183. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपालसिंह यादवः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत जून, 2023 तक शामिल किए गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मिशन के पूरा होने के संभावित समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पूरे भारत में नेटवर्क और सेवाओं की समान गुणवत्ता किस पर सुनिश्चित की जा रही है; और

(घ) क्या कार्यान्वयन के बाद इस मिशन के अंतर्गत इस योजना को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सभी गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों को त्वरित सेवा, समस्या निवारण और मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतनेट परियोजना के तहत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायतों (जीपी) और 3जी/4जी मोबाइल सेवा से कवर किए गए गांवों का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	चरण-I और II में सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किये गए जीपी की संख्या (दिनांक 30 जून 2023 तक)	चरण -I और II में कार्यान्वयनाधीन जीपी की संख्या (दिनांक 30 जून 2023 तक)	4जी या 3जी या दोनों से मोबाइल द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या (दिनांक 28 फरवरी 2023 तक)
उत्तर प्रदेश	43,634	3,355	1,05,140
मध्य प्रदेश	17,848	17	52,199
महाराष्ट्र	23,963	3,854	39,660

उत्तर प्रदेश की शेष 12,369 ग्राम पंचायतों, मध्य प्रदेश की 4976 ग्राम पंचायतों और महाराष्ट्र की 122 ग्राम पंचायतों और इन तीन राज्यों के बसे हुए गांवों को एक संशोधित कार्यनीति के माध्यम से जोड़ने की योजना है जो निरूपण और अनुमोदन की प्रक्रिया में है। भारतनेट परियोजना को पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2025 है।

(ख) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को की गई थी जिसे पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2024-25 निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) पूरे भारत में नेटवर्क और सेवाओं की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। उठाए गए कदमों का सार इस प्रकार है:

i. भारतनेट परियोजना को सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के तहत बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर और सृजित की गई अन्य अवसंरचना राष्ट्रीय संपत्ति है जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है और इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइनें आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों तक बैकहॉल उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

ii. स्कीम के कुशल संचालन के लिए पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से भारतनेट चरण-I के लिए सर्विस लेवल अग्रीमेंट (एसएलए) आधारित प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपा गया है। भारतनेट के चरण II के

ओएंडएम के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियां नेटवर्क के आजीवन रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।

iii. भारतनेट नेटवर्क को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर मैप किया जा रहा है जो खराबियों को तेजी से लोकेलाईजेशन और उसकी मरम्मत करने की सुविधा प्रदान करता है।

iv. इस नेटवर्क की नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, दिल्ली और बेंगलुरु से केन्द्रीकृत निगरानी रखी जा रही है।

इसके अलावा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(ट्राई) समय-समय पर जारी सेवा की गुणवत्ता विनियमों के माध्यम से निर्धारित विभिन्न सेवा की गुणवत्ता पैरामीटरों के लिए बेंचमार्क के आधार पर सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए ट्राई तिमाही आधार पर सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) वार कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) एकत्र करता है। जहां भी सेवा की गुणवत्ता के मानक पूरे नहीं होते हैं वहाँ संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद गैर-अनुपालित मापदंडों के लिए वित्तीय निरूत्साहन लगाया जाता है।

*****